सड़क पर सजी मीट मंडी, प्रशासन मौन रोज जाम

मुख्य बाजार और बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध कब्जों से बिगड़ी यातायात व्यवस्था

नवभारत न्यूज

विजयपुर, 19 फरवरी। विजयपुर शहर का मुख्य बाजार इन दिनों अव्यवस्था और अतिक्रमण की गिरफ्त में है। बस स्टैंड से लेकर मेन बाजार तक सड़क किनारे संचालित हो रही अवैध मीट दुकानों ने यातायात व्यवस्था को पूरी तरह चरमरा दिया है। हर शाम जाम की स्थिति बन रही है, जिससे आमजन, विद्यार्थी, मरीज और व्यापारी रोजाना परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई मीट विक्रेताओं ने सड़क की जमीन पर अस्थायी ढांचे खड़े कर कारोबार शुरू कर दिया है। दुकानों के सामने ग्राहकों की भीड़ और बेतरतीब खड़े दोपहिया-चारपहिया वाहन आवागमन में बाधा बनते हैं। कई बार एंबुलेंस और स्कूली वाहन भी जाम में फंस जाते हैं, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नियमों को ताक पर रखकर खुले में मांस काटा और बेचा जा रहा है। आसपास फैली गंदगी और दुर्गंध से राहगीरों का निकलना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि इस अव्यवस्था का सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है। ग्राहक जाम और बदबू से परेशान होकर बाजार आने से बच रहे हैं। निवासियों ने बताया कि इस संबंध में कई बार एसडीएम और नगर परिषद के सीएमओ को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन मिला है। यदि जल्द ही अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।

वीरपुर में भी यही हाल

सिर्फ विजयपुर ही नहीं, बल्कि वीरपुर के मुख्य बाजार में भी सड़क किनारे मीट दुकानों का जाल फैलता जा रहा है। गलियों और चौराहों पर खुलेआम मांस बिक्री से यातायात और स्वच्छता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इस पर नाराजगी जताई है। शहरवासियों का सवाल है कि क्या सड़कों पर अतिक्रमण यूं ही बढ़ता रहेगा? क्या प्रशासन आमजन की परेशानी को गंभीरता से लेगा या हालात और बिगड़ने का इंतजार किया जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक सख्ती दिखाता है और मुख्य बाजार को अतिक्रमण मुक्त कर व्यवस्थित मीट मार्केट की व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

इनका कहना है...

मैं कल ज्वाईन हुआ हूं आज मीटिंग में हूं कल मीट की दुकानों को दिखवाता हूं।

मनोज शर्मा सीएमओ

एकल नल-जल, शिक्षा, निवेश और सुशासन को प्राथमिकता दें : मुख्य सचिव

योजनाओं की प्रगति पर कलेक्टर- कमिश्नरों की समीक्षा बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 19 फरवरी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रदेश के कलेक्टरों एवं संभागायुक्तों की उच्चस्तरीय बैठक लेकर शासन की प्राथमिकताओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एकल नल-जल योजना शासन की प्रमुख योजना है। इस योजना के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयसीमा में पूर्ण कर उनका सामारोहपूर्वक हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने वनाधिकार पट्टों के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में ड्रॉपआउट दर कम करने के लिए विशेष प्रयास करने तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीयन संख्या बढ़ाने और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार सुनिश्चित करने पर बल दिया। साथ ही स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों में प्री-एजुकेशन गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बैंक वित्त एवं ऋण योजनाओं के माध्यम से जिलों के समग्र विकास को गति प्रदान की जा सकती है। इस दिशा में उद्योग एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयास तेज किए जाएं। विश्वकर्मा योजना अंतर्गत अधिकाधिक हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत कराने, ऋण अस्वीकृति की दर कम रखने तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 8 मार्च तक सभी विद्यालयों में बालिकाओं हेतु शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाए। साथ ही सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप स्थापना के लिए प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित किए जाएं। 'एक जिला एक उत्पाद' योजना के अंतर्गत प्रचार-प्रसार गतिविधियों को व्यापक स्तर पर संचालित करने के निर्देश भी दिए गए। सुशासन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वर्तमान वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में प्राथमिकता दी जाए तथा कृषि संबंधी गतिविधियों को विशेष महत्व दिया जाए। जनगणना कार्य की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने और 'संकल्प से समाधान' अभियान के तहत प्राप्त प्रकरणों का सतत एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन की प्रगति की समीक्षा करते हुए उसकी स्थिति में सुधार लाने पर भी बल दिया गया। कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने संवेदनशील बस्तियों का जोनल प्लान तैयार करने तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकरणों में राहत राशि लंबित न रखने के निर्देश दिए। एनआईसी कक्ष श्योपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल, डीएफओ कूनो आर थिरूकुराल, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन सहित

रायपुरा एवं बर्धाबुजुर्ग क्षेत्र की भूमि के क्रय-विक्रय पंजीयन पर दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 19 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा द्वारा उप पंजीयक मुद्रांक एवं पंजीयन जिला श्योपुर श्योपुर को पत्र जारी कर निर्देश दिये है कि ग्राम वर्धाबुजुर्ग से एनएच पाली रोड़ तक के मार्ग पर पडने वाले ग्राम रायपुरा एवं बर्धाबुजुर्ग की भूमि के क्रय-विक्रय पंजीयन मध्य रोड से 45 फीट दूरी छोडकर किये जायें। जिससे भविष्य में रेलवे स्टेशन को जाने वाला मार्ग संकीर्ण न हो तथा आवागमन सुचारू रूप से संचालित हो सकें। जारी पत्र के अनुसार ग्राम वर्धाबुजुर्ग में ब्रॉडगेज लाइन का नवीन रेलवे स्टेशन निर्माणाधीन है। निकट भविष्य में वर्धाबुजुर्ग रेलवे स्टेशन तक आवागमन हेतु ग्राम वर्धाबुजुर्ग से एनएच पाली रोड़ ग्रामीण मार्ग का उपयोग किया जाएगा, जिसमें काफी भीड़-भाड सहित वाहनों का आवागमन रहेगा। जीयोमैट्रिक डिजाइन स्टेन्र्डड फॉर रूरल नॉन अर्बन हाईवे प्रावधान अनुसार ग्रामीण मार्ग में रोड़ की चौडाई का 25 मीटर एवं नियंत्रण रेखाओं के बीच की कुल चौड़ाई 30 मीटर का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में प्रावधान अनुसार ग्राम वर्धाबुजुर्ग से एनएच पाली रोड़ तक के मार्ग पर पड़ने वाली ग्राम रायपुरा एवं वर्धाबुजुर्ग की भूमि के क्रय-विक्रय पंजीयन मध्य रोड़ से 45 फीट दूरी छोड़कर किये जाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में रेलवे स्टेशन को जाने वाला मार्ग संकीर्ण न हो तथा आवागमन भलीभांति से संचालित हो सके।अ निर्देश जारी किये गये है कि ग्राम वर्धाबुजुर्ग से एनएच पाली रोड़ तक मार्ग पर स्थित कृषि एवं प्लॉटिंग की भूमि का क्रय-विक्रय पंजीयन जीयोमैट्रिक डिजाइन स्टेन्र्डड फॉर रूरल नॉन अर्बन हाईवे प्रावधान अनुसार मध्य रोड़ से 45 फीट की दूरी छोड़कर ही किया जाए तथा इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से क्रय विक्रय पंजीयन पत्र में किया जाए।

पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना में 10 प्रतिशत अंशदान पर ले सकते है लाभ

कृषक ऋण के अदायगी की गारंटी मध्यप्रदेश शासन की रहेगी

श्योपुर, 19 फरवरी। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना अंतर्गत कृषक 10 प्रतिशत अंशदान पर अपने खेतो और बगीचों में फसलों की सिंचाई के लिए सौलर पम्प की स्थापना कर सकते है। सौलर पम्प स्थापना के लिए 30 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार की ओर से दिया जा रहा है तथा किसान को मात्र 10 प्रतिशत अंशदान राशि जमा करनी है, शेष 60 प्रतिशत किसान को ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी, इसके लिए श्योपुर जिले में सेंट्रल बैंक ऑफइंडिया को नोडल बैंक के रूप में चयनित किया गया है। कृषक ऋण के अदायगी की गारंटी मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी गई है। सौलर पम्प लगाने के लिए किसान भाई कुसुम-बी अंतर्गत राज्य पोर्टल से एआईएफका आवेदन ऑनलाइन जमा करा सकते हैं।

जनगणना अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू

जनगणना कार्य महत्वपूर्ण, दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से करें : डीएम

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 19 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा ने कहा कि जनगणना का कार्य अतिमहत्वपूर्ण है, इसलिए जनगणना के लिए नियुक्त अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता के साथ करें। प्रथम चरण में मकानों के सूचीकरण का कार्य संपन्न होगा तथा प्रगणक घर-घर जाकर मकानों पर नंबर अंकित करेंगे। जनगणना 2027 की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न होगी। वे आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग के तत्वाधान में आयोजित चार्ज एवं अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, एसडीएम श्योपुर गगन सिंह मीणा, कराहल बीएस श्रीवास्तव, जनगणना निदेशालय भोपाल से श्योपुर के जनगणना जिला प्रभारी सत्यप्रकाश, जिला योजना अधिकारी गिर्राज शर्मा आदि उपस्थित रहें। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा ने कहा कि जनगणना के लिए नियुक्त सभी चार्ज एवं अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी गंभीरता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा अपनी शंकाओं का समाधान मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से करें। जनगणना 2027 का कार्य दो चरणो में संपादित किया जायेगा। प्रथम चरण में 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण का कार्य संपन्न होगा तथा द्वितीय चरण का कार्य फरवरी 2027 में संपन्न कराया जायेगा। जनगणना 2027 में स्व-गणना पोर्टल (एसई पोर्टल) एवं मोबाइल एप (एचएलओ एप) के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया जायेगा। इसी क्रम में मकान सूचीकरण ब्लॉक क्रिएटर (एचएलबीसी) वेब पोर्टल के माध्यम से मकान सूचीकरण ब्लॉक का सृजन किया जायेगा। जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) वेब पोर्टल के माध्यम से मैनेजमेंट एवं मॉनिटरिंग की जाएगी। जनगणना 2027 में खास बात यह है कि जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। जनगणना प्रक्रिया में नागरिक स्वयं स्व-गणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर सकते हैं। जनगणना

के दौरान गणक के घर आने पर उन्हें यह जानकारी देनी होगी तब इस जानकारी को डिजिटल संकलित करेंगे।

कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री वर्मा ने बैठक में मकान सूचीकरण ब्लॉक के गठन, भवन नंबरिंग के दिशा-निर्देश देते हुए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ब्लॉक निर्धारण के मानदंडों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

जनगणना निदेशालय भोपाल से श्योपुर के जनगणना जिला प्रभारी सत्यप्रकाश ने कहा कि जनगणना अधिकारियों द्वारा मकान सूचीकरण के दौरान नागरिकों से 33 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना अधिकारियों द्वारा मकान सूचीकरण के दौरान भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, मकान की दीवार, छत और फर्श में प्रयुक्त सामग्री, मकान का उपयोग और स्थिति की जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही परिवार, परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, लिंग, सामाजिक वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य) से संबंधित विवरण दर्ज किया जाएगा। जनगणना के दौरान पेयजल का मुख्य स्रोत, प्रकाश का स्रोत, शौचालय की उपलब्धता और उसका प्रकार, गंदे पानी की निकासी, रसोईघर एवं उसमें प्रयुक्त ईंधन की जानकारी भी ली जाएगी।

इसके अलावा घर में स्नानघर, एलपीजी, पीएनजी कनेक्शन, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट सुविधा, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड, कार, जीप या वैन जैसी सुविधाओं और वाहनों की जानकारी भी शामिल है। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य खाद्यान्न, परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या, परिवार के मुखिया का व्यवसाय तथा मकान के स्वामित्व की स्थिति से जुड़ी जानकारी भी जनगणना में दर्ज की जाएगी।

राजपत्र में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रहेंगी और किसी भी न्यायालय, जांच या अन्य प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं की जा सकेंगी। डिजिटल माध्यम से जनगणना 2027 में यह समस्त जानकारी डिजिटल माध्यम से मोबाइल एप और पोर्टल के जरिए एकत्र की जाएगी।

चौनपुरा एवं कराहल में 35 लीटर हाथभट्टी मदिरा जब्त

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 19 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा एवं ग्वालियर संभाग आबकारी उपायुक्त संदीप शर्मा के मार्गदर्शन एवं जिला आबकारी अधिकारी कमल सिंह सिकरवार के निर्देशन में जिले में अवैध मदिरा के विक्रय पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी कमल सिंह सिकरवार ने बताया कि ग्राम चौनपुरा और कराहल में दबिश दी गई, जहां लगभग 35 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई एवं 300 किलोग्राम लाहन मौके पर नष्ट किया गया। आबकारी बल द्वारा की गई कार्यवाही में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 6 प्रकरण दर्ज किये गये, जप्त शुदा सामग्री की कुल कीमत लगभग 37000 रुपये पाई गई। कार्यवाही में आबकारी

उपनिरीक्षक संजीव कुमार धुर्वे, आरक्षक राजेंद्र शर्मा, कोक सिंह रावत, मोनू शाक्य एवं अन्य आबकारी बल मौजूद रहा।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 को

श्योपुर, 19 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा की उपस्थिति में जिला स्तर पर एसआईआर अंतर्गत निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को किया गया। इस अवसर पर विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय जैन ने बताया कि फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को श्योपुर एवं विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 687 मतदान केन्द्रों पर किया जायेगा। इस संबंध में 21 फरवरी को प्रात: 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों की बैठक भी आयोजित की गई है।

संकल्प से समाधान अभियान जारी : आवदा में कलस्टर स्तरीय शिविर आज

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 19 फरवरी। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार संकल्प से समाधान अभियान गत 12 जनवरी से 31 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत भारत सरकार एवं राज्य शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जा रहा है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन तथा सीईओ जिला पंचायत सुश्री सौम्या आनंद के निर्देशन में श्योपुर जिले की सभी 236 ग्राम पंचायतों में अभियान के तहत शिविरों का आयोजन संपन्न होने के बाद वर्तमान में कलस्टर लेबल के शिविर आयोजित किये जा रहे है।

सीईओ जिला पंचायत सुश्री सौम्या आनंद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अभियान के तहत कलस्टर स्तर पर शिविरों का आयोजन जारी है, इसी क्रम में 20 फरवरी को आवदा में कलस्टर स्तरीय शिविर आयोजित किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 21 फरवरी को वीरपुर में, 23 फरवरी को अजापुरा में, 24 फरवरी को कराहल में, 25 फरवरी को अगरा में, 26 फरवरी को पाण्डोला में, 27 फरवरी को खिरखिरी में, 28 फरवरी को खितरपाल में, 02 मार्च को रतोदन में, 05 मार्च को गसवानी में, 06 मार्च को ललितपुरा में, 07 मार्च को गोहटा में, 09 मार्च को प्रेमसर में, 10 मार्च को टर्राकलां में तथा 11 मार्च को मानपुर में कलस्टर स्तर के शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों के लिए संबंधित जनपदों के सीईओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नीमच में मलेरिया सर्वेलेन्स शिविर आयोजित

श्योपुर, 19 फरवरी । जिला मलेरिया अधिकारी डॉ एसएन बिंदल द्वारा विकासखंड विजयपुर के ग्राम नीमच में एक वृहद स्तरीय मलेरिया मास शिविर का आयोजन किया गया शिविर में एक सैकडा से अधिक लोगों कि किट द्वारा मलेरिया कि जाँच एवं बीमारियों का उपचार किया गया। शिविर के दौरान डॉ दयाराम जाधव, एमटीएस साहिब कुरैशी, सेक्टर सुपरवाइजर राजीव शर्मा, सीएचओ सतेन्द्र मीणा, एवं आशा कार्यकर्त्ता उपस्थित रही।

दो दिवसीय नियमित योग शिविर प्रारंभ

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 19 फरवरी। आयुष विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त तत्वधान में वरिष्ठ नागरिको के लिये 19 एवं 20 फरवरी को दो दिवसीय नियमित योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज प्रथम दिन गुरुवार को आयुष विभाग द्वारा शिविर का आयोजन जिला आयुष अधिकारी डॉ जीपी वर्मा के निर्देशन में प्रेरणा वृद्धा आश्रम में किया गया, शिविर मे विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ ओपी. टकसाली सेवा निवृत्त आयुष चिकित्सक द्वारा वरिष्ठजनो

को नियमित योग करने के लिए सूक्ष्म आसनो की जानकारी दी व योगाभ्यास कराया गया। इस अवसर पर डां. रघुवीर सिंह मीणा, विकास वर्मा (योग प्रशिक्षक), अजय मांझी (योग प्रशिक्षक), डॉ. हेमचन्द आर्य, डॉ. कोशल श्रीवास्तव, श्याम सुन्दर धाकड़, प्रीतम रावत, धर्मेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहें।

मन की शांति के लिए जीवन में आध्यात्मिकता जरूरी

नवभारत न्यूज

विजयपुर, 19 फरवरी। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की शाखा विजयपुर के माध्यम से गौरवपूर्ण वृद्धावस्था सम्मानित जीवन अभियान संचालित किया जा रहा है।

गौरवपूर्ण वृद्धावस्था अभियान के तहत गुरुवार को शासकीय महाविद्यालय विजयपुर में प्रात: 11 बजे राजयोग व मेडिटेशन सत्र के बारे में कार्यशाला आयोजित हुई, कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉ सुभाष शर्मा ने बताया कि गौरवपूर्ण वृद्धावस्था अभियान समय की मांग है तथा वर्तमान समय में जिस तरह के हालात परिवारों तथा समाज में बन रहे हैं, इसका कारण पाश्चात्य संस्कृति है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में राजयोग जीवन शैली होना बहुत जरूरी

है, जो की मन की शांति के लिए भी अति आवश्यक है। अभियान प्रभारी बीके शशि बहन ने अभियान के उद्देश्यों के बारे में बताया तथा गौरवपूर्ण वृद्धावस्था अभियान के तहत पिछले 13 दिनों से विजयपुर क्षेत्र के गांवो में सेवाएं की जा रही, सेवाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि आमजन तथा युवाओं तथा माता बहनों में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आएगा तथा वृद्धजनों के प्रति सम्मान तथा आदर के भाव की जागरूकता भी आएगी। शासकीय महाविद्यालय के कार्यक्रम में प्रभारी डॉ अंकिता कमाले, केमेस्ट्री प्रोफेसर डॉ मनोज कुमार भारद्वाज ने भी कार्यक्रम को संबोधित कर बताया कि ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम सराहनीय है, कार्यक्रम में डॉ दीपशिखा, डॉ मनीष सिंह, डॉ हरिचरण, डॉ आदित्य सक्सेना व महाविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

स्क्रीनिंग कैम्प कल गढ़ी में

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 19 फरवरी। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा माननीय जुवेनाइल जस्टिस कमेटी हाईकोर्ट मध्यप्रदेश द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में 18 साल तक की आयु के सभी बच्चों में दिव्यांगता की त्वरित पहचान हेतु जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कैम्प आयोजित किये जा रहे है। इसी क्रम में विजयपुर विकासखण्ड के ग्राम गढी में 21 फरवरी को कैम्प का आयोजन किया जायेगा। जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कैम्प 21 फरवरी को हायर सैकेण्डरी स्कूल गढी में, 23 फरवरी को नगरपरिषद बडौदा में, 28 फरवरी को जनपद पंचायत कार्यालय कराहल में, 02 मार्च को शासकीय हाईस्कूल पहेला में, 07 मार्च को पंचायत भवन मानपुर में, 09 मार्च को कार्यालय नायब तहसीलदार भवन गोरस में तथा 16 मार्च को शासकीय हाईस्कूल ओछापुरा में आयोजित किये जायेगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद ने निर्देश दिये है कि उक्त स्क्रीनिंग कैम्प में स्वास्थ्य विभाग मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञ चिकित्सक शिविर स्थल पर पहुंचकर दिव्यांगता का परीक्षण करेंगे और दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करेंगे। शिविर में शून्य से 18 वर्ष तक के बच्चों की दिव्यांगता का परीक्षण किया जायेगा, इसमें महिला बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

भूकंपरोधी संरचना निर्माण को प्रोत्साहित करने प्रशिक्षण आयोजित

आपदा प्रबंधन में सर्तकता एवं पूर्व तैयारियां जरूरी: डीएम

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 19 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा ने कहा कि भूकंप सहित विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन में सर्तकता एवं पूर्व तैयारियों से खतरे एवं नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। इसलिए जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किये गये है तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल कर इंसीडेंट कमांडर बनाये गये है, जो किसी भी प्रकार की आपदा के समय अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए बचाव एवं राहत कार्यो को त्वरित रूप से संचालित कर सकें। आज जिला पंचायत सभागार में आपदा प्रबंध संस्थान भोपाल, गृह विभाग म.प्र.शासन एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान तथा यूनिसेफ मध्यप्रदेश के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय भूकंपरोधी संरचना निर्माण विषयक प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस पर प्रात:कालीन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, आपदा प्रबंध संस्थान भोपाल के अभिषेक मिश्रा एवं तुषार गोलाईत सहित विभिन्न निर्माण विभागों के इंजीनियर उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने कहा कि श्योपुर जिला भूकंप खतरो की दृष्टि से सिस्मिक जोन-2 में आता है, जिसमें अधिक खतरा तो नही पर हमें जागरूक और सर्तक रहने की आवश्यकता है, क्योकि आपदा कभी भी आ सकती है आपदा के दौरान जागरूकता के अभाव में असमंजस एवं भय का वातावरण निर्मित हो जाता है, जिससे बचाव एवं राहत कार्यो में कठिनाईयां उत्पन्न होती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण अधिकारियों को बचाव एवं राहत कार्यो के संचालन में मददगार साबित होते है। कार्यक्रम में आपदा प्रबंध संस्थान भोपाल गृह विभाग के तकनीकी विशेषज्ञ अभिषेक मिश्रा द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भूकंप आपदा एवं प्रबंधन तथा तकनीकी विशेषज्ञ तुषार गोलाईत द्वारा बिल्डिंग कोड्स 1893 एवं 13920, रेट्रोफिटिंग, स्ट्रक्चरल हेल्थ मोनिटरिंग आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। इस अवसर पर बताया गया कि भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में 50 वॉलेटियर्स तैयार किये जा रहे है।